

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 55/2024

जी0सी0एम0एस0:-2024/156

1. प्रगति उर्फ भूरी पुत्री किशुन पत्नी अरविन्द जाति ठाकुर निवासी ग्राम बोथपुरा हाल आबाद ग्राम कहरई शमसाबाद रोड आगरा उ0प्र0वादिया

बनाम

1. कल्यानसिंह पुत्र रामभरोसी जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. कमला पत्नी कप्तान जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. शिवनारायण पुत्र कप्तान जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
4. नेकराम पुत्र फूलसिंह जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. पप्पू पुत्र बाबू जाति ठाकुर निवासी ग्राम भेना का पुरा मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
6. सुमन पुत्री किशुन जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
7. गुडडी पत्नी किशुन जाति ठाकुर निवासी मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां

----- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 29.07.2025

वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 15.07.2024 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 06.05.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 649 दिनांक 04.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये हैं।

तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीया ने इस आशय की आपत्ति पेश की है कि तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में वादीया का नाम भूरी पुत्री किशुन अंकित किया है, जबकि वादिया ने अपने वाद पत्र में अपना नाम प्रगति उर्फ भूरी पुत्री किशुन के नाम से प्रस्तुत किया है, न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री में भी वादिया का नाम प्रगति उर्फ भूरी के नाम से अंकित किया गया। इसलिए वादिया का नाम प्रगति उर्फ भूरी पुत्री किशुन अंकित जाने के आदेश के साथ पुनः तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने सहमति जाहिर की।


सपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादिया की बहस का मनन किया, वकील वादिया ने विभाजन प्रस्ताव में वादिया का नाम भूरी पुत्री किशुन अंकित किये जाने की आपत्ति की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 में वादिया का नाम भूरी पुत्र किशुन दर्ज रिकार्ड है। वादिया द्वारा मूलवाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है, तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड तैयार किये है। तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपत्ति वादिया खारिज करते हुए दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 870, 878 स्थिति ग्राम मौजा का नगला तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. कमला पत्नि कप्तान हि. 1/4 चौबी पुत्र कप्तान हि. 1/4 ना.बा. बच्चू पुत्र कप्तान हि. 1/4 शिवनारायण पुत्र कप्तान हि. 1/4 जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	870/2	0.2059 है०
2. गुड़ड़ी पत्नी किशुन हि. 1/3 भूरी पुत्री किशुन हि. 1/3, सुमन पुत्री किशुन हि. 1/3 जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	870/1 878/2	0.2231 है० 0.0464 है
3. कल्याणसिंह पुत्र रामभरोसी जाति ठाकुर. सा. देह खातेदार	878/1	0.3330 है०
4. पप्पू पुत्र बाबू जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	878/3	0.1274 है०
5. नेकराम पुत्र फूलसिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	878/4	0.0759 है०

कुल किता 6 रकवा 1.0117 हैक्टेयर बाकै ग्राम मौजा का नगला मजरा बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर नॉ
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (संज०)